12/5/17 वकील पक्षी वादी एवं

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की आपकी रूबरू डिक्री से रद्दीकरण होगा तो इसलिए वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं आप श्रीमान पक्षी पर नोटिस जारी करावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रद्दीकरण का होने से वाद को आगे नहीं चलाना है वाद वापस लिया जावे, लिया जाता है।

निर्णय नकल के साथ डिक्री जारी करावे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)